रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2014/चैत्र 3, 1936
No. 150] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2014/CHAITRA 3, 1936

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2014

सा.का.नि.207(अ) केन्द्रीय सरकार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2005 का 4) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (संशोधन) नियम, 2014 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,--

   (क) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   '(ङक) ''मंत्रालय'' से महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है ;';

   (ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   '(चक) ''अनुसूची'' से संशोधित अनुसूची अभिप्रेत है ;';

3. मूल नियम के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   ''3क. अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए संनियम--

   किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह,--

   (क) भारत का नागरिक नहीं है ;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं रखता है ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है ;

(घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय या निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत नहीं किया गया है ।'' ।

4. मूल नियम के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''6क. अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए आवेदन का आमंत्रण--

(1) अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए किसी रिक्ति विस्तृत प्रसार रखने वाली कम से कम चार राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों (दो अंग्रेजी और दो हिन्दी) में खुले विज्ञापन के द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा और विज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराना होगा ।

(2) समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से आवेदन प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट चार सप्ताह से कम समयावधि नहीं होगी ।

(3) आवेदन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्ररुप में देना होगा ।

6ख. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति--

चयन समिति के अध्यक्ष मंत्रालय के भारसाधक मंत्री, मंत्रालय के सचिव और बालक अधिकार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, जो चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा, से मिलकर बनेगी ।

6ग. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया--

(1) नियम 6ख के अधीन गठित चयन समिति मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी ।

(2) धारा 3, नियम 3 और नियम 3क के अधीन पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले आवेदनों की चयन समिति द्वारा संवीक्षा होगी ।

(3) चयन समिति सम्यक् विचार करने और धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखने के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष और सदस्य के पदों को धारण करने के लिए आवेदकों की उपयुक्तता के बारे में विनिश्चय करेगी ।

(4) चयन समिति द्वारा आवेदकों के चयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होंगे ।

5. मूल नियम के नियम 7 के उपनियम (1) में ''मंत्रिमंडलीय सचिव'' और ''सचिव'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''सचिव'' और ''अपर सचिव'' शब्द क्रमशः रखे जाएंगे ।

[फा.सं.3-30/2013-सीडब्ल्यू-I]

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 1 में अधिसूचना सा.का.नि. 450(अ) तारीख 31 जुलाई, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 517(अ) तारीख 29 जून, 2012 द्वारा किया गया था ।

अनुसूची IV

प्ररुप

(नियम 6क(3) देखें)

आवेदन पत्र

अनुदेश :

(क) कृपया धारा 1 से 15 तक यथाअपेक्षित सभी ब्यौरे दें ।

(ख) कृपया धारा 1 से 7 के सामने सभी ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में भरे ।

पासपोर्ट आकार का चित्र चिपकाएं

1. आवेदक का पूरा नाम :

2. लिंग (पु./म.) :

क) पुरुष ☐

☐

ख) महिला

3. जन्म की तारीख :

4. संपर्क ब्यौरे :

आवासीय		**शासकीय**	
पूर्ण पता	**दूरभाष सं. और फैक्स (यदि कोई हो)**	**पूर्ण पता**	**दूरभाष सं. और फैक्स (यदि कोई हो)**

5. मोबाइल सं. :

6. ई-मेल आईडी :

अन्य ई-मेल आईडी :

7. राष्ट्रीयता **(केवल भारतीय राष्ट्रिकों के लिए)** :

8. कृपया स्थान को स्पष्ट करें जिस पर आप आवेदन कर रहे हैं :

क) अध्यक्ष ☐

ख) सदस्य : यदि आप सदस्य के पद पर आवेदन कर रहे हैं तब कृपया अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र का चयन करें :

i) बालक शिक्षा ; ☐

ii) बालक स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण और बालक विकास ; ☐

iii) किशोर न्याय/देखरेख की उपेक्षा या सीमांत बालक/निशक्तः बालक ; ☐

iv) बालक श्रम या संकट में बच्चों का उन्मूलन ; ☐

v) बालक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ; ☐

vi) बालक से संबंधित विधियां ; ☐

9. शैक्षणिक अर्हताएं : (आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होने की दशा में कृपया समान रूप विधान में पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

क्रम सं.	**डिग्री/डिप्लोमा का नाम (जैसा आपके प्रमाण-पत्र में छपा है)**	**विश्वविद्यालय/स्थान**	**समयावधि**		**शिक्षा का प्रमुख पाठ्यव्रङ्कम**	**प्राप्त डिवीजन**
			को	**से**		

10. संक्षिप्त सेवा विशिष्टियां और : (नवीनतम पद से आरंभ करें, आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होने की दशा में कृपया समान रूप विधान में पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

पदनाम		**समयावधि**		**कार्य का संक्षिप्त विवरण**
		को	**से**	

11. पद की उपयुक्तता के संबंध में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो : (आवेदन किए गए पद की अपेक्षाओं से संबंधित कोई अन्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता/जीते हुए पुरस्कार/प्रकाशन/अनुभव/समानुदेशन (यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करे))

12. क्या आपका विचार है कि आप आवेदन किए गए पद (पदों) के लिए सर्वोत्तम अभ्यर्थी हैं ? (कृपया 800 शब्दों से अनधिक में स्वतः लिखित उत्तर संलग्न करे)

13. निर्देश : दो निर्देशितियों का नाम, पदनाम और पते के ब्यौरे, जो आवेदक के कार्य से परिचित हो, उत्तरदायित्व प्रास्थिति में (जो नातेदार नहीं है)

नाम	वृत्तिक ब्यौरे	संपर्क ब्यौरे		
		पूर्ण पता	ई-मेल	दूरभाष सं. फैक्स (यदि कोई हो) और मोबाइल सं.

स्थान :

तारीख : (आवेदक के हस्ताक्षर)

15. सत्यापित किया जाता है कि :

(क) आवेदन प्ररुप में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज सही हैं ;

(ख) मैं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दंडादिष्ट नहीं हुआ हूं ;

(ग) मैं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत नहीं किया गया हूं ;

(घ) मैं संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान मंडल का सदस्य या पद के विज्ञापन की तारीख को किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं हूं ;

(ङ) मैं, यदि चयनित होता हूं तो बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद से भिन्न किसी लाभ के पद को धारण नहीं करूंगा या किसी वृत्ति या किसी व्यवसाय को नहीं करूंगा ।

स्थान :

तारीख : (आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन प्ररुप के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज :

(कृपया संलग्न दस्तावेजों को चिन्हित करें)

(क) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण के रूप में सभी डिग्री/प्रमाण-पत्रों और अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियां ।

(ख) पासपोर्ट या मतदाता पहचान-पत्र/नगरपालिक प्राधिकरण या जिला जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति ।

(ग) पासपोर्ट या जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति न देने की दशा में जन्म की तारीख का प्रमाण अर्थात् कक्षा 10/माध्यमिक स्कूल बोर्ड परीक्षा का प्रमाण-पत्र ।

(घ) संबंधित संगठनों/प्राधिकारियों द्वारा जारी संबंधित क्षेत्र में अनुभव दर्शित करने वाले दस्तावेज ।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2014

G.S.R.207(E).— In the exercise of powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) to (d) of sub-section (2), of section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby makes the following further amendments in the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Protection of Child Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principle rules), in rule 2,-

(a) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) "Ministry" means the Ministry of Women and Child Development, Government of India.";

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(fa) "Schedule" means Schedule amended to these rules."

3. In the principle rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

"3A. Norms for selection of Chair-person and Members.- A person shall not be selected as Chairperson or Member, unless he,-

(a) is an Indian national;
(b) possesses a post graduate degree from a recognised university;
(c) has not been convicted or sentenced to imprisonment for an offence under any law for the time being in force;
(d) has not been removed or dismissed from service of the Central or State Government or a body or corporation owned or controlled by Central or State Government."

4. After rule 6 of the principle rules, the following rules shall be inserted, namely: --

"**6A. Invitation of applications for the post of Chairperson and Member. –** (1) Any vacancy for the post of Chairperson or Member shall be given wide publicity through open advertisement in at least four national daily newspapers (two English and two Hindi) having wide circulation and the advertisement shall also be made available on the website of the Ministry.

(2) A time period of not less than four weeks shall be specified for receiving the applications from the date of publication of the advertisement in newspapers.

(3) The application shall be submitted in Form specified in Schedule IV.

6B. Selection Committee for appointment of Chairperson and Member. -- The Selection Committee shall consist of the Chairperson who shall be the Minister-in-charge of Ministry, the Secretary of the Ministry and one independent expert of eminence in the field of child rights, to be nominated by the Chairperson of the Selection Committee.

6C. Procedure for appointment of Chairperson or Member. – (1) The Selection Committee constituted under rule 6B, shall consider all the applications received by the Ministry.

(2) The applications fulfilling the eligibility criteria, under section 3, rule 3 and 3A, shall be scrutinized by the Selection Committee.

(3) The Selection Committee shall, after due consideration and having regard to criteria specified in sub-section (2) of section 3, decide about the suitability of the applicants for holding the post of Chairperson or Member, as the case may be.

(4) The applicant as selected by the Selection Committee shall be notified by the Ministry."

5. In sub-rule (1) of rule 7, of the principle rules, for the words "Cabinet Secretary" and "Secretary", the word "Secretary" and "Additional Secretary" shall respectively be substituted.

[F.No. 3-30/2013-CW-I]

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section I vide notification number G.S.R. 450(E) dated 31st day of July, 2006 and subsequently amended vide notification No. 517(E) dated 29th June, 2012.

SCHEDULE IV
FORM
(See rule 6A(3))

Application Form

Instructions:

a) Please give all details as required from Sections 1-15.
b) Please fill details against Sections1-7 in BLOCK letters.

Affix a passport size photograph

1. Full Name of the applicant:

2. Sex (M/F):

a) M ☐

b) F ☐

3. **Date of Birth**:

4. Contact Details:

Residential		Official	
Complete Address	**Telephone No. and Fax (if any)**	**Complete Address**	**Telephone No. and Fax (if any)**

5. Mobile No.:

6. E-Mail ID:
Alternate Email ID:

7. Nationality (open to Indian nationals only):

8. Kindly specify the position you are applying for:
a) Chairperson ☐

b) Member: If you are applying for the post of Member, then kindly select the area of your specialization:

i) Child education; ☐

ii) Child health, care, welfare or child development; ☐

iii) Juvenile justice/care of neglected or marginalized children/children with disabilities; ☐

iv) Elimination of child labour or children in distress; ☐

v) Child psychology or sociology; ☐

vi) Laws relating to children. ☐

9. Educational Qualifications: (In case you need more space, kindly attach separate sheets in the same format.)

S. No.	**Name of Degree/Diploma** (as printed on your certificate)	**University/Place**	**Duration**		**Main Courses of Study**	**Division Obtained**
			From	**To**		

10. Brief service particulars and experience: (Starting from the most recent post. In case you need more space, kindly attach separate sheets in the same format.)

Designation	**Organisation**	**Duration**		**Brief Description of Duties**
		From	To	

11. Additional information, if any, in support of suitability for the post: (Any other national or state level recognition/awards won/publications/experience/assignments relevant to the requirements of the post applied. (Please attach additional sheets, if required).

12. Why do you think that you are the best candidate for the applied post (s)? (Kindly attach a self written answer in not more than 800 words)

14. References: Names, designation and contact details of ***two*** referees, in responsible positions (not being relatives), who are familiar with the work of the applicant.

Name	**Professional Details**	**Contact Details**		
		Complete Address	**Email**	**Telephone No. Fax (if any) and Mobile No.**

Place:

Date: (**Signature of the applicant**)

15. It is certified that:

a) The information furnished in the application form and enclosed documents is correct;
b) I have not been convicted or sentenced to imprisonment for an offence under any law for the time being in force;
c) I have not been removed or dismissed from service of the Central or State Government or a body or corporation owned or controlled by Central or State Government;
d) I am not a Member of Parliament or Member of Legislature of any State/Union Territory or member of any political party on the date of advertisement of the post;
e) If selected, I shall not hold office of profit or pursue any profession or carry on any business other than my office as Chairperson or Member, NCPCR.

Place:

Date: (**Signature of the applicant**)

Essential Documents to be enclosed with the application form:

(Please tick the documents enclosed)

a) Attested copies of all degrees/certificates and mark-sheets as proof of academic qualifications.
b) A copy of passport or Voters ID/Birth Certificate issued by Municipal authorities or District Office of the Registrar of Births and Deaths.
c) Proof of Date of Birth in case copy of passport or Birth Certificate is not submitted, e.g. certificate of class X/secondary school Board Examination.
d) Documents issued by the concerned organisations/authorities indicating experience in the relevant field.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.